राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :-- महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	प्रा0पत्र निर्णय दिनांक
55/2023	19.06.2023	19.12.24

1. समुन्द्रसिंह पुत्र जैतसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना जिला कोटपुतली–बहरोड

वादी

बनाम

1. बलवन्तसिंह पुत्र कुरडाराम जाति अहीर निवासी ग्राम पृथ्वीपुरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ हरि0
2. छोटेलाल पुत्र दुलीचन्द जाति कुम्हार निवासी ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना
3. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना

असलप्रतिवादीगण

5. अजयपाल सिंह पुत्र कुरडासिह जाति राजपुत
6. गंगा देवी पत्नी महावीर सिंह जाति कुम्हार
7. गिराज सिंह पुत्र कल्ययाणसिंह जाति राजपुत
8. जगदीश सिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत
9. दीपक पुत्र हरिराम जाति कुम्हार
10. बरजूसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति कुम्हार
11. मंजू देवी पत्नी राजेश सिंह जाति राजपुत
12. मैना देवी पत्नी छोटेलाल जाति कुम्हार
13. महेश देवी पुत्री कल्याण सिह जाति राजपुत
14. माईचन्द पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार
15. रणवीर पुत्र भानसिंह जाति राजपुत
16. रमेश पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार
17. रेशम पत्नी बजरंग लाल जाति कुम्हार
18. राजेश सिंह पुत्र सुगनसिह जाति राजपुत
19. रितू देवी पत्नी महेन्द्रसिंह जाति राजपुत
20. रोशनलाल पुत्र श्योचन्दजाति कुम्हार
21. सुकन देवी पत्नी धर्मपाल सिंह चौहान जाति राजपुत
22. सुमन देवी पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपुत
23. सुमन देवी पत्नी अनिल सिंह चौहान जाति राजपुत
24. सरवती देवी पत्नी कल्याण सिंह जाति राजपुत
25. सुरेश पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार
26. सावित्री पुत्र श्योचन्द जाति कुम्हार सभी निवासीयान ग्राम डाबडवास तहसील नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

27.सुशील कुमार पुत्र सुबेसिह जाति अहीर निवासी ग्राम फौलादपुर तह0 नीमराना
28.विरेन्द्र कुमार यादव पुत्र जसवन्तसिंह यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिरयानी
तहसील नीमराना

त0प्रतिवादीगण

दावा दुरूस्त इन्द्राज बाबत हाल राजस्व नक्शा अन्तर्गत
धारा 88,89,131

अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0

स्थितिः–

1. श्री पीताम्बर अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादी की ओर से
2. श्री मुकेश यादव अधिवक्ता– प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं0 1 की ओर से

निर्णय दिनांक

पत्रावली पेश हुई प्रकरण के सुक्ष्म वुतान्त निम्न प्रकार से हैः–

ने वाद पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 119/0.14 वाके ग्राम घीलोठ साबिक ख0न0 17 मिन से कायम किया गया है। हम वादीगण साबिक ख0न0 17 क र मं स्थित साबिक ख0न0 31 से सम्वत 2042 में नये खसरा नम्बर 127, 128 कायम गये जिनका विभाजन होने के बाद ख0न0 128/2515 गै.मु. रास्ता तथा ख0न0 /2268 रकबा 0.22, 2501/127 रकबा 0.09 कायम कर उसकी खातेदारी प्रतिवादी 1 के नाम से व ख0न0 2500/127 कायम कर उसकी खातेदारी 1/2 हिस्सा वादी सं0 01 के नाम से व 1/2 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी सं0 02 के नाम से की गई है। वादी व तरप्रती साबिक ख0न0 17 की तरफ उत्तर में साबिक ख0न0 स्थित है जैसाकि साबिक नक्शा सम्वत 2020 में अंकित हैं जो नक्शा सही है जिसके ाविक ही मौके पर ख0न0 साबिक 17 व 31 स्थित है।

ह है कि वन्दोवस्त सवंत 2042 में साबिक ख0न0 17 के नये ख0न0 118,119,120 यम किये गये तथा इसी प्रकार से साबिक ख0न0 31 के नये खसरा न0 127,128 व न्य नम्वर कायम किये गये जो सभी खसरा नम्बर मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के ाविक खसरा न0 17 के तरफ उत्तर मे कायम किये गये है। लेकिन हाल राजस्व नक्शा ायम किया गया वह नक्शा साविक नक्शा से छोटा कायम कर दिया गया तथा मौके के नुसार मिन वादी व तरतीवी प्रतिवादीगण के हाल खसरा नम्बर 119 की उत्तरी डोल के हारे–सहारे खसरा न0 128,127 मे से गैर मुमकिन रास्ता खसरा न0 128/2515 कायम र दिया गया। लेकन राजस्व नक्शा में गैर मुमकिन रास्ता 128/2515 के तरफ उत्तर ं प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी का ख0न0 2500/127 कायम कर इन खसरा नम्बरान

उपखण्ड अधिकारी

र मुमकिन रास्ता के तरफ दक्षिण में दर्शित कर दिये गये। जबकि मौके के अनुसार
ादीगण के उक्त ख0न0 128/2268 व 2501/127, 2500/127 ख0न0 128/2515
ुमकिन रास्ता के तरफ उत्तर में स्थित है। वादी व वादी के भाई महावीर, विक्रम
अपने ख0न0 119 में मौके पर साबिक नक्शा के अनुसार मुताबिक रिहायसी मकान
से बनाकर निवास कर रहे है।

व तरप्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा के हाल गलत राजस्व नक्शा की जानकारी
थी लेकिन अब प्रतिवादी सं0 1, 2 द्वारा गलत नक्शा की आड में वादी व तरप्रति
ाराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तब जानकारी हुई इसलिए वादीगण
ह वाद पेश करना अवाश्यक हुआ।

वाद विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी बलवन्त द्वारा दिनांक 26.07.2023 को प्रार्थना
न्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादी ने न्यायालय
को मुगालता में रखकर गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया हैं वादी ने
दावे के समथन में केवल साबिक नक्शा ही पेश किया है। जबकि साबिक रिकार्ड
नही किया गया है। साबिक रिकार्ड के अनुसार ख0न0 17 मिन से वादी व वादी के
भी पूर्वज के नाम पर नही है इसलिए वादी ने जानबुझकर साबिक रिकार्ड
लय श्रीमान के समक्ष दावे के साथ पेश नही किया जिस ख0न0 17 साबिक को
बनाकर वादी ने वाद प्रस्तुत किया है उसमें वादी का किसी भी प्रकार से हक व
निहित नही है इसलिए वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रावधानो
ंत आने पर इसी स्टेज पर खारीज किये जाने योग है। साबिक ख0न0 17 में वादी
ाम न होने पर मानसिक, कल्याणसिंह, हनुमानसिंह पुत्रांन फुलसिंह वगे0 के नाम से
सलिए वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। इसलिए वादी का वाद
ा 7 नियम 11 के प्रावधानो के अन्तर्गत आने के कारण खारीज योग है। अतः प्रार्थना
स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारीज फरमाया जावे।

ल अप्राथी/वादी ने प्रार्थना पत्र का जबाब पेश न कर सीधे ही बहस हेतु निवेदन
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर उभय पक्ष के अभिभाषंकगण की बहस
गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। हस्तगतवाद
द्वारा नक्शा दुरस्ती का अन्तर्गत धारा 88,89,131 आरटीएक्ट के तहत पेश किया है
कि नक्शा दुरस्ती राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 मे ही किये जाने का
धान है। वादीगण द्वारा साबिक रिकार्ड के अनुसार हाल नक्शे में दुरस्ती का अनुतोष
है परन्तु वादी द्वारा केवल साबिक नक्शे की ही नकल पेश की है। साबिक जमाबन्दी
नकल पेश नही की है। जिसके अभाव में यह साबित नही होता की आराजी विवादित
साबिक नम्बर में उसके हक हकूक थे या नही। इसलिए वादी को कोई वाद कारण
त्पन्न होना भी साबित नही होता है। नक्शा दुरुस्ती हेतु अन्तर्गत धारा 131 भू-राजस्व
धिनियम के तहत ही पेश किया जाना चाहिए था। उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद
ादेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधी में आता है। इसलिए प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना
त्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी वर्तमान स्टेज पर ही खारीज किये जाने योग है।

उपखण्ड अधिकारी

आदेश है कि:—

/प्रतिवादी न0 1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर
ी/वादी का वाद बाबत आ0ख0न0 128/2515, 128/2268, 2501/127,
/127 वाके ग्राम घीलोठ ओदश 7 नियम 11 जा0दी0 की प्ररीधी में होने के कारण
ज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी हो।
ली फेसल सुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

नेर्णय आज दिनांक 19-12-24को मेरे द्वारा टकिंत कराया जाकर खुल्ले न्यायालय में
ा गया।

(महेन्द्रसिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराणा (कोटपूतली—बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)